


22/5/18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत में
को स्थानांतरित की जाती है। पत्रावली दिनांक - 21/6/18
के स्थान पर दिनांक - 22/5/18
अदालत क्षेत्र स्थान - गौहड़ का तला
समक्ष प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी पदावली नुसार।

सहायक कलेक्टर (SDO), बौहड़

22.5.18

पत्रावली ध्यान शम्भू लोह अदालत न्याय क्षेत्र
द्वारा 2018 के केम्प गौहड़ का तला में पेश हुई।
वर्ष तथा उत्तरवादी संघ में केम्प नियमित
होकर शर्तीनामा पेश कर निवेदन किया
कि इस वाद में लोक अदालत की
भावना से हमने शर्तीनामा कर दिया है
इसलिए इस वाद को विद्रो कानून प्रयोग
करना नहीं व उत्तरवादी संघ का शर्तीनामा
स्वीकार कर इस वाद में अन्तर्गत
कार्रवाई इलाह स्तर पर समाप्त की
जाती है। पत्रावली फल सुभार
होकर दाखिल खतर वे



(केसर देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत गौहड़ का तला
पं.स. घनाऊ (बाड़मेर)
सहायक कलेक्टर
बौहड़